गिग वर्कर्स को ईवी खरीदने के लिए सब्सिडी

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : प्रदेश सरकार ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की दिशा में और एक कदम बढ़ाया है। गिग वर्कर्स (अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो जैसी कंपनियों में कार्य करने वाले) को अनुदानित दर पर इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन उपलब्ध कराने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इन वर्कर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) खरीदने पर सब्सिडी दिए जाने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी की है। योजना के तहत दो लाख से अधिक दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की यह धनराशि खर्च की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग न केवल ईंधन की लागत को कम करता है बल्कि रखरखाव की लागत भी कम हो जाती है। इससे गिग वर्कर्स की आय में वृद्धि होगी।

प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के

- **फ्लिपकार्ट व स्विगी जैसी कंपनियों के कर्मियों के लिए 100 करोड़ का प्रविधान**
- **सरकार ने गिग वर्कर्स को अनुदान दिए जाने के लिए मास्टर प्लान किया तैयार**

केंद्र में गिग वर्कर्स को रखा गया है। राज्य में इस समय लाखों की संख्या में युवा इस क्षेत्र में लगे हैं। लोगों के घरों तक आर्डर पहुंचाने के लिए ये युवा दिनभर बाइक दौड़ाते हैं। प्रदेश सरकार का मानना है कि यदि गिग वर्कर्स को इलेक्ट्रिक वाहनों से जोड़ दिया जाए तो वायु प्रदूषण में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी नीति-2022 के तहत दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100 करोड़ की सब्सिडी का प्रविधान किया गया है।

यह सब्सिडी गिग वर्कर्स के लिए ईवी की खरीद को किफायती बनाएगी। योजना के लिए सरकार ने फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी, जोमैटो जैसी कंपनियों के साथ सहयोग की योजना बनाई है। कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने डिलीवरी वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करें। इसके लिए विशेष छूट और तकनीकी सहायता सरकार देगी।

इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत कुल 440 करोड़ की सब्सिडी का प्रविधान किया गया है। योजना के तहत 2.35 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी से दो लाख से अधिक गिग वर्कर्स और अन्य लाभान्वित होंगे। 250 करोड़ की सब्सिडी से टैक्सी चालकों और निजी वाहन मालिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 10 करोड़ की सब्सिडी से लाजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मदद पहुंचाई जाएगी। 80 करोड़ रुपये की सब्सिडी से सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा।